

हार्डि-स्कोरिंग मुकाबले में हैदराबाद ने बंगलुरु को 25 रन से हराया

हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया



बंगलुरु, 15 अप्रैल। इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास के सबसे हार्ड स्कोरिंग मुकाबले को हैदराबाद ने 25 रन से जीत लिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 287 रन बनाए। ने भी दूसरी पारी में 7 विकेट गंवाकर 262

बंगलुरु, 15 अप्रैल। इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास के सबसे हार्ड स्कोरिंग मुकाबले को हैदराबाद ने 25 रन से जीत लिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 287 रन बनाए। ने भी दूसरी पारी में 7 विकेट गंवाकर 262

शिवम दुबे मैच को नियंत्रित कर सकता है, टीमें उसके खिलाफ स्पिनरों को उतारने से डरती हैं : एरिक सिमंस

मुंबई, 15 अप्रैल। चेन्नई सुपरकिंग्स के गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस ने कहा है कि ऑलराउंडर शिवम दुबे में मैचों को नियंत्रित करने की क्षमता है और टीमें उनके खिलाफ स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल करने से 'डरती' हैं।



मुंबई, 15 अप्रैल। चेन्नई सुपरकिंग्स के गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस ने कहा है कि ऑलराउंडर शिवम दुबे में मैचों को नियंत्रित करने की क्षमता है और टीमें उनके खिलाफ स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल करने से 'डरती' हैं।

हरियाणा की पलक ने शूटिंग में हासिल किया 20वां ओलंपिक कोटा, तवालीफाइंग इवेंट में जीता कांस्य

ब्राजील, 15 अप्रैल। हरियाणा की पलक ने शूटिंग में देश को 20वां ओलंपिक कोटा दिलाया है। पलक ने रियो डि जेनेरियो (ब्राजील) में खेली जा रही अंतिम ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्ट का ब्रान्ज मेडल जीता। इसके साथ ही संयम पांचवें नंबर पर रही।



संयम दोनों पिछड़ी हुई चाल रही थीं, लेकिन दोनों ने बाद में वापसी की। वहीं हंगरी की बेरोनिका मेजर एक समय में आगे चल रही थीं। लेकिन बाद में वह पिछड़ गईं, जिसका फायदा पलक को मिला। 19वें शॉट में पलक के 6 अंक की मेजर पर बढ़त बना ली और वह तीसरे स्थान पर पहुंच गईं, जबकि संयम को पांचवें स्थान पर बाहर होना पड़ा। तीसरे और चौथे स्थान के मुकाबले में मेजर 10 का निशाना लगाने से चूक गईं, जिससे पलक कांस्य जीतने में सफल रही।

धर्मशाला में बनी देश की पहली 'हाइब्रिड पिच' खेले जायेंगे आईपीएल के दो मैच

धर्मशाला, 15 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का खूबसूरत स्टेडियम बीसीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पहला स्टेडियम होगा जिसमें अत्याधुनिक 'हाइब्रिड पिच' बिछाई गई है जहां इस सत्र में इंडियन प्रीमियर लीग के दो मैच होंगे। एचपीसीए के एक अधिकारी ने कहा, "हाइब्रिड पिच बिछा दी गई है और आईपीएल के दो मैच इसी पर खेले जायेंगे।" नोदर्लैंड की 'एएमआईएस ग्रास' कंपनी को इसका जिम्मा दिया गया है। यहां जारी विज्ञापन के अनुसार यह पिच अधिक टिकाऊ, स्थिर और हार्ड परफॉर्मिंग होगी। एचपीसीए अध्यक्ष आर पी सिंह ने कहा, "भारत में हाइब्रिड पिच तकनीक का आगमन क्रिकेट के लिये बहुत महत्वपूर्ण पल है।"

ब्रायन लारा की हार्दिक पांड्या की टीम को सलाह, कहा- गेंदबाजी में करना होगा सुधार

मुंबई, 15 अप्रैल। वेस्टइंडीज के पूर्व महान खिलाड़ी ब्रायन लारा ने इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियन्स की 20 रन की हार के बाद कहा कि मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह के अलावा अधिक दम नहीं है और उन्हें खेल के इस विभाग में सुधार करने की जरूरत है।

मुंबई, 15 अप्रैल। वेस्टइंडीज के पूर्व महान खिलाड़ी ब्रायन लारा ने इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियन्स की 20 रन की हार के बाद कहा कि मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह के अलावा अधिक दम नहीं है और उन्हें खेल के इस विभाग में सुधार करने की जरूरत है।

राजधानी

पुलिस उप निरीक्षक पेपर लीक प्रकरण के 12 आरोपियों की रिहाई पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 मई को तय करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती-2021 पेपर लीक से जुड़े मामले में 12 आरोपियों की रिहाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 1 मई को तय करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर द्वितीय ने आरोपी 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल की अवैध हिरासत मानते हुए उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार की ओर से याचिका में अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने अदालत को बताया कि एसओजी ने आरोपियों को 3 अप्रैल को गिरफ्तार कर 4 अप्रैल को अदालत में पेश किया था। ऐसे में नियमानुसार आरोपियों को गिरफ्तारी

ज्ञात रहे कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर द्वितीय ने आरोपी 11 ट्रेनी एस.आई. और एक कांस्टेबल की अवैध हिरासत मानते हुए उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने अदालत को बताया कि एस.ओ.जी. ने आरोपियों को 3 अप्रैल को गिरफ्तार कर 4 अप्रैल को अदालत में पेश किया था। ऐसे में नियमानुसार आरोपियों को गिरफ्तारी की 24 घंटे में ही पेश किया गया था।

के 24 घंटों में ही पेश किया गया था। वहीं निचली अदालत ने 12 अप्रैल को आरोपियों की अवैध हिरासत मानते हुए उन्हें रिहा करने की आदेश दिए हैं। जबकि पूर्व में 4 अप्रैल को उसी अदालत ने समान आरोपियों को पुलिस अधीनस्थ में भेज दिया था। ऐसे में यदि उनकी अवैध हिरासत अवैध भी थी तो संबंधित मजिस्ट्रेट को पूर्व की सुनवाई के समय ही आरोपियों को रिहा करना चाहिए था। एक बार मजिस्ट्रेट की ओर से पुलिस अधीनस्थ के आदेश देने के बाद वह अवैध हिरासत नहीं कहलाएगा। इसलिए निचली अदालत के आदेश को रद्द किया जाए। जिसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रमित पारीक ने कहा कि आरोपियों के रिजॉल्व ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं और निचली अदालत का आदेश विधि सम्मत है। इसलिए राज्य सरकार की याचिका को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की रिहाई पर रोक लगा दी है।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को यहां राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र और ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को राजस्थान विधानसभा दैनिक 2024-25 भेंट की। विधानसभा के इतिहास में पहली बार दैनिकी का प्रकाशन भारतीय वर्ष के अनुसार राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली बार दैनिकी का प्रकाशन भारतीय वर्ष के अनुसार किया गया है। देवनानी ने बताया कि नवसंवत्सर 2081 के माह चैत्र शुक्ल, प्रतिपदा से दैनिकी की आरम्भ किया गया है। इस बार दैनिकी अप्रैल, 2024 से आरम्भ की गई है। हिंदी तिथि के साथ-साथ वर्तमान में प्रचलित अंग्रेजी तिथियों का भी समावेश किया गया है। राजस्थान विधानसभा कदाचित्त देश की ऐसी पहली विधानसभा बन गई है जहां भारतीय वर्ष के अनुसार दैनिकी का प्रकाशन किया गया है। राज्यपाल देवनानी ने बताया कि इस बार दैनिकी अप्रैल, 2024 से आरम्भ की गई है। हिंदी तिथि के साथ-साथ वर्तमान में प्रचलित अंग्रेजी तिथियों का भी समावेश किया गया है।



स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर राजस्थान विधानसभा द्वारा नववर्ष की डायरी भेंट की।

डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले चारों ट्रेनी एस.आई. 5 दिन की रिमांड पर

एस.आई. भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक व डमी कैंडिडेट बैठाने का मामला
जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में अपनी जगह पर डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले गिरफ्तार चारों ट्रेनी एसआई को सोमवार को कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें कोर्ट ने पांच दिन की रिमांड पर भेज दिया है। एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में अपनी जगह पर डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले चार ट्रेनी एसआई को रविवार देर शाम को राजस्थान पुलिस अकादमी से गिरफ्तार किया था। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया कि एसओजी की टीम ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में अपनी जगह पर डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले हरिओम पाटीदार निवासी गलियाकोट डूंगरपुर, विक्रम जीत बिश्नोई निवासी बज्जू बीकानेर हाल पार्श्वनाथ सिटी जोधपुर, अरुण कुमार गोदारा निवासी बज्जू बीकानेर और श्याम प्रताप सिंह निवासी जोधपुर को रविवार देर शाम को राजस्थान पुलिस अकादमी से एसओजी मुख्यालय लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में चारों ट्रेनी एसआई ने डमी कैंडिडेट परीक्षा में बैठाना स्वीकार कर लिया है। इनमें प्रत्येक ने परीक्षा में पास होने के लिए 15 से 20 लाख रुपए दिए थे। इसमें डमी कैंडिडेट बैठाना और पेपर को खरीदना दोनों काम शामिल थे। गौरतलब है कि चारों ट्रेनी एसआई ने अपने स्थान पर डमी अभ्यर्थी बैठा कर एसआई भर्ती परीक्षा-2021 को पास किया था। एसओजी ने जो कुछ दिनों पहले डमी परीक्षा ली थी, उसमें यह चारों फेल हो गए थे। इस पर एसओजी को उनकी योग्यता पर शक हुआ। जब इनके दस्तावेजों और सेंटर की जांच की गई तो पता चला कि इन चारों ने डमी कैंडिडेट बैठा कर परीक्षा पास की थी। एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी केस में अब तक 36 ट्रेनी एसआई और सात आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है।